# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 01/2022

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| छतरसिंह पुत्र हरिसिंह<br>जाति–राजपुत, निवासी–बावरला<br>तहसील व जिला–सांचौर | | 1 रामलाल पुत्र पेकाजी<br>जाति–बिश्नोई, निवासी–डबाल<br>2 पुनमाराम पुत्र रामचन्द्र<br>जाति–बिश्नोई, निवासी–डबाल<br>3 भाखराराम पुत्र रामचन्द्र<br>जाति–बिश्नोई, निवासी–डबाल<br>4 हेमीदेवी पत्नी मगा<br>जाति–दरोगा, निवासी–डडुसण<br>5 दला पुत्र मगा, जाति–दरोगा<br>निवासी–डडुसण<br>6 मगजी पुत्र भगा, जाति–दरोगा<br>निवासी–डडुसण, तहसील व जिला सांचौर<br>7 सरकार जरिये भूमिधारी<br>तहसीलदार सांचौर |

## प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सहपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार बिश्नोई उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 4,6 व 7 बावजूद सूचना(तामील) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.25 15:41:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक :– 13.05.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके सरहद मौजा डडुसण पटवार हल्का–बावरला में प्रार्थी की खातेदारी व मालिकाना हक हकूक कब्जा काश्त के खेत खसरा संख्या 601 रकबा 5.30 हैक्टेयर व खसरा संख्या 941/600 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल रकबा 5.68 हैक्टेयर तथा इसी ग्राम के खसरा

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1081/533 रकबा 0.08 हैक्टेयर मौजा बावरला के खसरा संख्या 1413/1110 रकबा 0.08 हैक्टैयर आये हुए है। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी कब्जा काश्त के उक्त खेत नक्शे में अलग तरमीमशुदा आये हुए है। लेकिन उक्त खेत खसरा संख्या 601 व 641/600 की उतरी दक्षिणी माठ को अप्रार्थी संख्या 1 रामलाल अपने खेत में मिलाने की चेष्टा करते रहते है। प्रार्थी के खेत की माठ पर वर्षो पुराने खड़े दरखत व थोर को काटकर माठ को तोड़ते रहते है तथा जबरन प्रार्थी के खेत को हड़पना चाहता है। प्रार्थी की कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थी का शांतिपूर्ण वर्षो पुराना कब्जा है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थी के खेत में जबरन प्रवेश कर अन्दर घुसना चाहते है तथा मनमर्जी अनुसार सीमा तय करते है। खसरा संख्या 1413/110 व 1081/533 की भूमि अप्रार्थी हेमीदेवी बैवा मगा, दला, मगजी पिसरान भगा से दिनांक 06.07.2015 को रजिस्टर्ड दस्तावेज के जरिये खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। तब से आज दिन तक बदस्तुर है। अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 ने प्रार्थी को उक्त खसरा नंबर की जमीन बेच दी है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ नजरी नक्शा पेश किया है। नक्शे में लाल स्याही के चिन्हित रेखा अनुसार प्रार्थी के खेत खातेदारी कब्जा काश्त का आया हुआ है। चिन्हित लाल स्याही स्थान से स्थायी नेखमबंदी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 व उनके परिवार वालों ने मिलावट दिनांक 04.04.2022 को प्रार्थी के खेत की तरमीमशुदा माठ को तोड़कर विवाद कर खेत की जमीन अपनी मनमर्जी अनुसार अवैध रूप से नक्शे में की गई तरमीम से हटकर तय करने लगे। सरहद मौजा डडुसण, पटवार हल्का–बावरला में प्रार्थी की खातेदारी व मालिकाना हक हकूक कब्जा काश्त के खेत खसरा नंबर 601 रकबा 5.30 हैक्टेयर व खसरा संख्या 941/600 रकबा 0.38 हैक्टेयर जुमले रकबा 5.68 हैक्टेयर तथा इसी ग्राम के खसरा संख्या 1081/533 रकबा 0.08 हैक्टेयर व मौजा बावरला के खसरा संख्या 1413/110 रकबा 0.08 हैक्टेयर नजरी नक्शा में लाल स्याही से चिन्हित अनुसार स्थायी नेखमबंदी हेतु जरिये पुलिस इमदाद से करवाने हेतु आदेश फरमावें।

प्रार्थना–पत्र कार्यालय टिप्पणी के पश्चात दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण व अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से वकील श्री दिलीप कुमार बिश्नोई ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 व 5 को प्रर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 4, 6 व 7 के नोटिस तामील बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.25 15:41:36 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र से वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित खसरा नंबरान के खेत प्रार्थी की खातदेारी व कब्जा काश्त सुदा आये हुए किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 प्रार्थी के उपरोक्त खेतों की माठ तोड़ते रहते है तथा अप्रार्थीगण के खेत पड़ौस में होने से वह उनके खेत में प्रार्थी की भूमि मिलाना चाहते है इस कारण हमेशा का विवाद

Scanned with OKEN Scanner

निपटाने हेतु प्रार्थी के खातेदारी की भूमि की सीमा पर स्थाई नेखमवंदी करने का आदेश फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का उपरोक्त आराजी पर नक्शा प्रदर्श 'अ' अनुसार कभी काश्त कब्जा नहीं रहा है, प्रार्थी नेखमबंदी की आड़ में कब्जा काश्त करना चाहता है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र पत्र पौषणीय नहीं होन से खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, जमाबंदी, नक्शा ट्रैश आदि का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी मौजा डडुसण के खेत खसरा संख्या 601 रकबा 5.30 हैक्टेयर, व खसरा संख्या 941/600 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1081/533 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1413/1110 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि का प्रार्थी खातेदार होना साबित है तथा न्याय की दृष्टि से प्रत्येक काश्तकार को अपनी खातेदारी भुमि को सुरक्षित करवाने का अधिकार होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होन से स्वीकार किया जाता है।

## :– आदेश :–

फलतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा डडुसन के खेत खसरा संख्या 601, 941/600, 1081/1110, 1413/1110 का सीमांकन कर मौके पर प्रार्थी के खेतों की सीमा पर प्रदर्श नक्शा 'अ' अनुसार स्थाई नेखमवंदी करावें। उपरोक्त आशय की अलग से तहसीलदार सांचौर के नाम तहरीर जारी हो। नेखमवंदी का तमाम खर्चा प्रार्थी स्वयं वहन करेगा।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को सरे–ए–इजलास सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.25 15:41:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner